



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 10, बुधवार, साके 1947- अप्रैल 30, 2025
Vaisakha 10, Wednesday, Saka 1947- April 30, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आचार्य।

**आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग
अधिसूचना**

जयपुर, अप्रैल 15, 2025

संख्या प.8(1)आयु/2024 - 02944 - राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन एतद्वारा किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा 7 एवं 27 में विहित प्रावधानानुसार, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के प्रथम बोर्ड में अध्यक्ष सहित निम्नानुसार सदस्यों का मनोनयन किया जाता है-

क्र.स.	विवरण	पद
1	प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	अध्यक्ष
2	श्री हेमंत सेठिया	सदस्य
3	श्री गोविन्द लाल शैली	सदस्य
4	श्री कुलदीप वर्मा	सदस्य
5	श्री हरि सिंह बूमरा	सदस्य
6	श्री एस एस पाटीदिया	सदस्य
7	निदेशक, आयुर्वेद विभाग	रजिस्ट्रार (सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी)

- अध्यक्ष सहित उक्त सदस्यों की पदावधि उक्त अधिनियम की धारा 7 में विहित प्रावधानानुसार निर्धारित रहेगी।
- बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय मानदेय, भत्ते, आधारभूत सुविधाएँ पृथक से आदेश जारी कर निर्धारित की जायेगी।
- यह अधिसूचना दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी होगी।

उक्त आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित है।

जाता है,

**सावन कुमार पायल,
शासन उप सचिव।**

4274

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।